



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 06.11.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 201/2024 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.10.2024 को वादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी ग्राम नूरपुर अरब थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 25.10.2024 को वादी की पुत्री सविता के ससुरालीजनों ने वादी की पुत्री को प्रताडित करते हुए दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर वादी की पुत्री की हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 201/2024 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अंकित आदि कुल 07 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 06.11.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.महीपाल पुत्र सुक्वा सिंह 2.रामवती पत्नी महीपाल निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.महीपाल पुत्र सुक्वा सिंह निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.रामवती पत्नी महीपाल निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.म0कां0 590 रीनू मार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 06.11.2024

**थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 419/2024 धारा 34/420/467/468/504/506 भादवि में वांछित
02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.10.2024 को थाना नूरपुर पर वादिया कृष्णा देवी पत्नी शीशराम सिंह निवासी ग्राम पुरैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. ऋषिराम पुत्र नन्हू सिंह 2. पवन पुत्र ऋषिराम 3. राजकुमार पुत्र नन्हू 4. श्रवण कुमार पुत्र राजकुमार निवासीगण ग्राम पुरैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर पूर्व मे बिके हुये खसरा नं0 372 का बैनामा वादिया के पति शीशराम व वादिया के जेठ बलराम सिंह के नाम धोखाधडी करते हुये फर्जी बैनामा करा देना व तथा ऋषिराम व श्रवण कुमार उपरोक्त द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 419/2024 धारा 34/420/467/468/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. ऋषिराम पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम पुरैना अब्दुलरहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2. राजकुमार पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम पुरैना अब्दुलरहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. ऋषिराम पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम पुरैना अब्दुलरहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. राजकुमार पुत्र नन्हू सिंह निवासी ग्राम पुरैना अब्दुलरहमानपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक अपराध नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. का0 2588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट—थाना किरतपुर

दिनांक 06.11.2024

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र सहित वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त को एक अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 05.11.2024 को थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम सरायइम्मा निवासी अफसान पुत्र नफीस की सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र सहित वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया।

आज दिनांक 06.11.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अफसान पुत्र नफीस निवासी ग्राम सरायइम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 411/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. अफसान पुत्र नफीस निवासी ग्राम सरायइम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1. 01 तमंचा 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री आशीष पुनिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 722 प्रवीण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1107 सुधीर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 06.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

आज दिनांक 06.11.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सत्यम शर्मा पुत्र सरोत्तम शर्मा नि० ग्राम लखीपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु०अ०स० 540/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

सत्यम शर्मा पुत्र सरोत्तम शर्मा नि० ग्राम लखीपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० श्री यशपाल सिंह मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर